प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक - 489 / 2008

याचिकाकर्ता/(आरोपी) : अरुण कृष्णराव हजारे

विरुद्ध

उत्तरदाता : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

आदेश उद्घोषणा हेतु दिनांक 23 अक्टूबर, 2008 को सूचीबद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

दिनांक : 22-10-2008

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक - 489 / 2008

याचिकाकर्ता /(आरोपी) :

अरुण कृष्णराव हजारे, आयु 58 वर्ष, पूर्व महाप्रबंधक (सिविल), साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर।

वर्तमान में मुख्य अभियंता (सिविल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखण्ड।

विरुद्ध

उत्तरदाता :

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, जबलपुर, शाखा भिलाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका)

उपस्थित :

श्री गैरी मुखोपाध्याय के साथ श्री आर. पी. जोशी, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

सुश्री शर्मिला सिंघई, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थायी अधिवक्ता।

एकल पीठ : माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश

आदेश

(23 अक्टूबर, 2008 को पारित)

1. यह याचिका विशेष न्यायाधीश (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रकरण), रायपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 4/2007 में पारित आदेश दिनांक 17-9-2008 के विरुद्ध प्रस्तुत कि गई है, जिसके तहत विशेष न्यायाधीश ने आवेदक कि ओर से दोषमुक्त करने के लिए प्रस्तुत आपत्ति/आवेदन को

इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अभियोजन कि मंजूरी कानून के अनुसार नही है ।

2. आवेक्षित आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि आवेदक, जो कि एक लोक सेवक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 19 के प्रावधानों के अधीन संरक्षित है और बिना किसी विधिसम्मत तथा उचित स्वीकृति के न्यायालय उसके विरुद्ध कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम नही है, तथा आवेदक अभियोग का आरोप विरचित हो जाने के उपरान्त भी, किसी भी स्तर पर मंजूरी की वैधता अथवा अधिकारिता से सम्बन्धित आधार उठा सकता है। अतः न्यायालय ने आरोप निर्धारण के उपरान्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार न करके अवैधता पारित की है।

3. मैंने दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना तथा आक्षेपित आदेश, कथित स्वीकृति आदेश की प्रति, विशेष न्यायालय द्वारा अभिलेखित स्वीकृति प्राधिकारी के कथन की प्रति, अन्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ विशेष रूप से अनुलग्नक-पी-12 दिनांक 16-5-2006, जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एस.ई.सी.एल.) द्वारा शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया तथा अनुलग्नक-पी-13 दिनांक 10-8-2006, जो दीपका क्षेत्र के स्टाफ़ अधिकारी (सिविल) द्वारा शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है, जिनका सम्बन्ध दीपका विस्तार परियोजना के सी.एच.पी.–बी.एस.ई.एस. जंक्शन से गेवरा क्षेत्र स्थित गेवरा परियोजना के उपमहाप्रबंधक कार्यालय तक कोयला टिपर सड़क के ब्लैक-टॉपिंग तथा तीन वर्षों के रख-रखाव से सम्बद्ध है, का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्री आर. पी. जोशी, याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता को **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड**, बिलासपुर में महाप्रबंधक (सिविल) पद पर पदस्थ किया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक ट्रेप केस केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अपराध क्रमांक आर.सी. 0092006ए0013 में पंजीबद्ध कर अनवेषण शुरु की गई। अंततः आरोपपत्र विशेष न्यायाधीश (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो प्रकरण), रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन चल रहा है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए अभियोजन स्वीकृति धारा 19 भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम के अनुसार अनिवार्य है। अभियोजन स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि अभिलेखित सामग्री अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाए और प्राधिकारी उक्त सामग्री का परीक्षण कर अपनी मानसिक तथा व्यक्तिपरक संतुष्टि के उपरांत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करे। इस प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी ने यथोचित परीक्षण कर अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की है। श्री आर. पी. जोशी का यह भी निवेदन है कि अभियोजन स्वीकृति मात्र औपचारिकता नहीं है, अपितु स्वीकृति प्राधिकारी सामग्री का परीक्षण करने के उपरांत अभियोजन की अनुमति दे सकता है अथवा मंजूरी देने से इंकार कर सकता है।

5. वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता को उक्त कार्य सौंपा ही नहीं गया था और वह सड़क निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध कराने अथवा संविदा की अवधि बढ़ाने अथवा दंड प्रावधान लागू किए बिना संविदा समाप्त करने के लिए सक्षम नहीं था। अर्थात अधिकारिक कर्तव्य जिसके लिए कथित तौर पर परितोषण कि मांग की गई थी, वह याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं था और न ही उसका अधिकारिक कर्तव्य था। अतः याचिकाकर्ता अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं था। फलस्वरूप, अवैध परितोषण माँगने अथवा स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था और याचिकाकर्ता ने न तो अवैध परितोषण माँगा और न ही स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी, अर्थात पार्थ एस. भट्टाचार्य (अ.सा.-1), अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड ने संपूर्ण अभिलेख का परीक्षण नहीं किया। यहाँ तक कि संपूर्ण सामग्री उनके समक्ष स्वीकृति के समय प्रस्तुत ही नहीं की गई। उन्होंने अपने कथन में विशेष रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने मामले की संपूर्ण जाँच नहीं की। सतर्कता विभाग ने गवाहों की सूची और दस्तावेजों की सूची के अलावा, गवाहों के बयान या दस्तावेज नहीं भेजे हैं। उन्होंने केवल शिकायतकर्ता का कथन तथा दिनांक 3-4-2006, 10-4-2006 एवं 15-5-2006 के दस्तावेज़ों का परीक्षण किया। उन्होंने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को दिए गए उत्तर का परीक्षण नहीं किया क्योंकि वह उनके समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया। श्री आर.पी. जोशी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि सम्पूर्ण अभिलेखीय सामग्री के परीक्षण के अभाव में स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति विधि के अनुरूप नहीं है, उसमें त्रुटि निहित है तथा ऐसी विधि-विरुद्ध स्वीकृति आदेश के आधार पर कार्यवाही/विचारण की निरन्तरता विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानी जाएगी। पार्थ एस. भट्टाचार्य (अ.सा.-1) के परीक्षण उपरान्त, आवेदक ने

विचारण न्यायालय के समक्ष स्वीकृति प्राधिकारी के कथन के आधार पर पुनः संज्ञान लेने अथवा विचारण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आरोप विरचित के पश्चात् न्यायालय स्वयं अपने आदेश को निरस्त करने में सक्षम नहीं है।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि वर्तमान आवेदक ने परिवादी के विरुद्ध उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही प्रारम्भ की थी, क्योंकि परिवादी द्वारा अपराध पंजीयन से पूर्व अनुभव प्रमाण पत्रों में जाली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे। स्वयं को काली सूची में डालने तथा उसके परिणामस्वरूप कैरियर एवं व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए परिवादी ने आवेदक के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समक्ष झूठी शिकायत प्रस्तुत की है, फलस्वरूप आवेदक को इस प्रश्नाधीन अपराध में झूठा फँसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय **कर्नाटक राज्य द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम सी.नागराजस्वामी** में यह अवलम्ब लिया गया है जिसमे सर्वोच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायालय ने त्रुटिवश अपराध का संज्ञान ले लिया हो और तत्पश्चात किसी अवस्था में न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस पर विचार करना अनुमेय है। विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में यह प्रतिपादित निर्णय का अवलम्ब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन स्वीकृति के अभाव का प्रश्न परीक्षण प्रारम्भ होने के समय उठाया जा सकता है, किन्तु मुकदमें के दौरान ही विवाद का प्रश्न उठाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक है कि संपूर्ण अभिलेख अभियोजन स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाए और स्वीकृति प्राधिकारी अभिलेख परीक्षण के उपरान्त यह संतोष करे कि अभियोजन की अनुमति देने का कोई आधार है अथवा नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने **कर्नाटक राज्य बनाम अमीरजान** प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भी अवलम्ब लिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश इस तथ्य का द्योतक

होना चाहिए कि स्वीकृति प्राधिकारी ने अपने मन का यथोचित प्रयोग किया है। अभियोजन द्वारा संकलित समस्त सामग्री स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष रखी जानी चाहिए। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने **राज्य बनाम रविन्द्र सिंह** के प्रकरण पर भी आश्रय लिया है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया है कि अभियोजन की स्वीकृति अपराध का संज्ञान लेने तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश द्वारा उस अपराध के अभियोजन हेतु पूर्वावश्यक शर्त है और यदि किसी भी स्तर पर, विशेष न्यायाधीश के समक्ष उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री के आधार पर अथवा अन्य किसी प्रकार यह तथ्य संज्ञान में आता है कि संज्ञान का आधार अर्थात् स्वीकृति किसी भी दोष, त्रुटि अथवा अवैधानिकता से ग्रसित है, तो यह तर्क करना कि विशेष न्यायाधीश को अभी भी शेष साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही जारी रखनी चाहिए, निरर्थक अभ्यास होगा और न केवल निरर्थक अभ्यास बल्कि यह सरकारी खजाने एवं न्यायालय के सीमित समय पर अनावश्यक बोझ भी होगा ।

8. दूसरी ओर, श्रीमती शर्मिला सिंघाई, अधिवक्ता, अभियोजन (सी.बी.आई.) की ओर से उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अभियोजन ने अभिस्वीकृति प्रदान करने के लिए मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज़ एवं सामग्री प्रस्तुत की है। अभिस्वीकृति प्राधिकारी के सतर्कता विभाग ने भी प्रकरण की जाँच की है तथा अन्य दस्तावेजों सहित प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण सामग्री का परीक्षण करने के पश्चात् अभिस्वीकृति प्राधिकारी ने स्वयं को संतुष्ट कर अभिस्वीकृति प्रदान की है। अभिस्वीकृति आदेश में समस्त घटनाक्रम का विवरण है तथा इसमें वे सभी दस्तावेज़ एवं कथन सम्मिलित हैं जिनका परीक्षण अभिस्वीकृति प्रदान करते समय अभिस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा किया गया। वर्तमान प्रकरण में अभिस्वीकृति आदेश एक स्पष्ट एवं विचारयुक्त आदेश है तथा यह एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है, अतः यह बिना किसी साक्ष्य के भी ग्राह्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का गठन करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक ने अपने कर्तव्य से सम्बन्धित कोई कार्य कर कोई मूल्यवान वस्तु अथवा आर्थिक लाभ प्राप्त किया हो। यह कहना उतना ही गलत है कि अगर कोई लोक सेवक किसी तृतीय व्यक्ति से भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा धनराशि लेता है, ताकि किसी अन्य लोक सेवक को भ्रष्ट किया जा सके या अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में यद्यपि उसने अपने स्वयं के कर्तव्य के निर्वहन

में कोई कदाचार का सवाल ही नही है, उसने अधिनियम के अंतर्गत अपराध नही किया है। दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक ने अपने कर्तव्य से सम्बद्ध कोई कार्य किया हो, यदि वह तृतीय पक्ष से भ्रष्ट अथवा अवैध साधनों द्वारा तीसरे पक्ष से धनराशि प्राप्त करता है तो वह अपने पद का दुरुपयोग करता है। अभियुक्त की ओर से अवैधता एवं अभिस्वीकृति की अनुचितता का आपत्ति प्रारम्भिक अवस्था में, अर्थात संज्ञान ग्रहण के समय अथवा आरोप विरचित की तिथि पर मंजूरी लिया जाना आवश्यक था। किन्तु न तो अभियोग गठन की तिथि पर और न ही विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् ऐसा कोई आधार लिया गया और न ही उस साक्षी की जाँच के पश्चात्, जिसने अभिस्वीकृति प्रदान की थी। विचारण के पश्चात् अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है तथा परीक्षण न्यायालय न तो आरोप विरचित करने के आदेश का वापस लेने या अपने आदेश को निरस्त करने के लिए सक्षम नही है, जो कि अपराधिक प्रणाली में अनुमेय नहीं है।

10. अधिनियम की धारा 19 अभियोजन हेतु पूर्व स्वीकृति से सम्बद्ध है। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) में यह उपबंधित है कि विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी निष्कर्ष, दण्ड या आदेश अपील, पुष्टिकरण अथवा पुनरीक्षण में केवल इस आधार पर निरस्त अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित स्वीकृति का अभाव है अथवा उसमें कोई त्रुटि, चूक अथवा अनियमितता विद्यमान है। अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृति की वैधता और औचित्य से सम्बन्धित प्रश्न कार्यवाही के किसी भी प्रारम्भिक स्तर पर सुनवाई एवं निर्णयित किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 19 की उपधाराएँ (3) एवं (4) इस प्रकार हैं-

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 का 1974) में निहित किसी भी प्रावधान के होते हुए भी –

(क) विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी निर्णय, दण्ड अथवा आदेश, अपील, पुष्टि अथवा पुनरीक्षण में इस आधार पर पलटा अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि उपधारा (1) के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन अनुपस्थित है अथवा उसमें कोई त्रुटि, लोप अथवा अनियमितता है, जब तक कि उस न्यायालय के मतानुसार उस कारण से वास्तविक न्याय का विफल होना सिद्ध न हो गया हो;

(ख) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही को इस आधार पर स्थगित नहीं करेगा कि अनुमोदन में कोई त्रुटि, लोप अथवा अनियमितता है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि ऐसी त्रुटि, लोप अथवा अनियमितता के कारण वास्तविक न्याय का विफल होना हुआ है;

(ग) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य आधार पर कार्यवाही को स्थगित नहीं करेगा और न ही कोई न्यायालय किसी भी अंतःकालिक आदेश के संबंध में, जो किसी जाँच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाही में पारित हुआ हो, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगा।

(4) उपधारा (3) के अंतर्गत यह निर्धारित करते समय कि क्या अनुमोदन की अनुपस्थिति अथवा अभाव किसी त्रुटि, लोप अथवा अनियमितता न्याय की असफलता का कारण बनी है या उसके लिए उपयुक्त है, न्यायालय इस तथ्य पर विचार करेगा कि क्या कार्यवाही की किसी पुर्वोत्तर चरण में आपत्ति उठाई जा सकती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. वर्तमान प्रकरण में, आवेदक धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए विचारण का सामना कर रहा है तथा विशेष न्यायाधीश (सी.बी.आई. प्रकरण), रायपुर ने 20-3-2008 को आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए हैं। माननीय विशेष न्यायाधीश ने पार्थ एस. भट्टाचार्य (अभि.सा.-1) का परीक्षण किया है, जिन्होंने आवेदक के विरुद्ध अनुमोदन प्रदान किया था। दिनांक 18-4-2008 को आवेदक ने यह कहते हुए दोषमुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि अनुमोदन विधि के अनुसार नहीं है और यह वैध अनुमोदन नहीं है। पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, माननीय विशेष न्यायाधीश ने उक्त आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि अनुमोदन आदेश पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने संज्ञान लिया तथा आरोप विरचित किए, और आरोप विरचित होने के उपरान्त न्यायालय अपनी ही आदेश की समीक्षा करने अथवा उसे वापस लेने के लिए सक्षम नहीं है।

12. अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के अनुसार, अभियुक्त को यह अधिकार है कि वह अमान्य स्वीकृति आदेश के आधार पर लिए गए संज्ञान के विरुद्ध कार्यवाही के किसी भी प्रारम्भिक स्तर पर अर्थात् विचारण की शुरुआत से पूर्व अथवा विचारण के आरम्भिक स्तर

पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रकाश (उपर्युक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 48 में यह अभिनिर्धारित किया है—

'वर्तमान प्रकरण में स्वीकृति अधिनियम से सम्बद्ध अपराधों से सम्बन्धित थी। स्वीकृति के पूर्ण अभाव तथा विवेक का प्रयोग न करने के कारण उत्पन्न कथित अमान्यता, दोनों में भेद है। प्रथम स्थिति (स्वीकृति का अभाव) प्रारम्भिक स्तर पर उठाई जा सकती है, किन्तु द्वितीय स्थिति ऐसी है जिसे विचारण के दौरान ही उठाया जा सकता है।'

13. **कर्नाटक राज्य द्वारा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** (उपर्युक्त) प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है –

14.सामान्यतः, यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त व्यक्तियों के अभियोजन के लिए उचित मंजूरी प्रदान की गई है या नहीं, उस मामले में संज्ञान लेने के स्तर पर ही निपटाया जाना चाहिए। किंतु, इस प्रकृति के मामले में, जहाँ यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या मंजूरी प्रदान करने वाला प्राधिकारी इसके लिए सक्षम था या नहीं, तो विचारण के बाद अंतिम बहस के स्तर पर, सेवा से हटाने की सेवा शर्तों और निबंधनों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करना पड़ सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जाना अपराध का संज्ञान लेने हेतु आवश्यक शर्त है। यह वांछनीय है कि स्वीकृति से संबंधित प्रश्न का निर्धारण प्रारम्भिक अवस्था में ही कर लिया जाए। (देखें – **अशोक साहू बनाम गोकुल साईकिया तथा बीरेन्द्र कुमार सिंह बनाम राज्य बिहार**)

16. तथापि यदि अपराध का संज्ञान भूलवश लिया गया है और बाद में न्यायालय के संज्ञान में यह तथ्य आता है तो भी इस पर निर्णय दिया जाना न्यायोचित है। ऐसी आपत्ति प्रथम बार अपीलीय न्यायालय में भी ली जा सकती है। (देखें – **बी. साहा बनाम एम.एस. कोचर**, एस.सी.सी पैरा-13 एवं **के. कालीमुथु विरुद्ध राज्य**)

14. बिरेन्द्र (उपर्युक्त) प्रकरण में स्वीकृति से संबंधित आपत्ति उठाने के प्रश्न पर विचार करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसी आपत्ति बहस के चरण पर भी उठाई जा सकती है। उक्त आदेश के पैरा-3 इस प्रकार है –

हमारा अभिमत है कि ऐसी आपत्ति उठाने का उपयुक्त स्तर वह होगा जब अभियुक्तों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 एवं 228 के अन्तर्गत तर्क प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाए। ऐसा स्तर तभी प्राप्त होगा जब प्रकरण सत्र न्यायालय को विचारार्थ प्रेषित किया जाएगा। अभियुक्त और राज्य तथा परिवादी—इन सभी के लिए यह लाभकारी होगा कि तब तक प्रतीक्षा करें क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 में परिकल्पित अभिलेखीय सामग्री द्वारा आदेश समर्थित होगा तथा प्रश्न का परीक्षण उन सामग्रियों के आलोक में भी किया जा सकेगा। हम अपीलकर्ता को यह अनुमति प्रदान करते हैं कि वह संहिता की धारा 197 के अधीन स्वीकृति से सम्बन्धित आपत्ति सत्र न्यायालय में उपर्युक्त उपयुक्त स्तर पर प्रस्तुत कर सकता है। यदि ऐसी कोई आपत्ति उठाया जाता है तो सत्र न्यायालय उस पर कारणयुक्त आदेश पारित कर उसका निस्तारण करेगा और आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों से अप्रभावित रहेगा। यह कहना अनावश्यक है कि यदि अपीलकर्ता जमानत के लिए आवेदन करता है, तो मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गया द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तो पर जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. यदि अपराध का संज्ञान भूलवश ले लिया गया है और वह बात न्यायालय के संज्ञान में बाद के चरण में आती है, तब भी न्यायालय उस विषय पर उपयुक्त निष्कर्ष देने में सक्षम है। के. कालीमुथु (पुर्वोक्त) तथा बी. साहा (पुर्वोक्त) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन हेतु स्वीकृति की आवश्यकता/अनिवार्यता का विचार अपीलीय स्तर पर भी किया जा सकता है। दोनों ही मामलों में यह विवाद था कि किसी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन हेतु स्वीकृति आवश्यक है अथवा नहीं, और क्या अभियुक्त ने अपने पद के आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते समय अथवा उसके संबंध में अपराध किया है। इन दोनों निर्णयों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य द्वारा सी.बी.आई के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अपराध का संज्ञान भूलवश लिया गया हो और वह न्यायालय के संज्ञान में बाद के स्तर पर आता है, तो इस विषय पर निष्कर्ष देना अनुमेय है, भले ही वह अपीलीय स्तर पर क्यों न हो।

16. रविन्दर सिंह (पुर्वोक्त) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विशेष न्यायाधीश ने स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी का परीक्षण करने के उपरांत, पक्षकारों की सुनवाई के बाद आरोप विरचित होने के बाद भी अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी के बिना सोचे समझे मंजूरी दे दी है। उच्च न्यायालय ने अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचते हुए उस आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका को निरस्त कर दिया और यह माना कि विशेष न्यायाधीश का आदेश विधिसम्मत, न्यायोचित और उस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में उचित है। यह भी प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित करने के बाद इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 240 से 243 तथा 246 के प्रावधानों के अनुसार वारंट मामलो की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। विशेष न्यायाधीश आरोप विरचित करने के बाद केवल अभियुक्त को दोषमुक्त करने में सक्षम है, परन्तु आरोप विरचित के बाद किसी भी स्तर पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने में सक्षम नहीं है, भले ही वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 245(2) के अंतर्गत क्यों न हो, जो केवल पुलिस प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य मामलों में लागू होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोजन हेतु स्वीकृति की आवश्यकता तथा किसी आपत्ति उठाए जाने के स्तर से सम्बन्धित कानून बहुत स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 19(3)(क) के प्रावधानानुसार, विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को अपील, पुष्टिकरण अथवा पुनरीक्षण में निरस्त या परिवर्तित नहीं किया जाएगा कि उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित स्वीकृति का अभाव है अथवा उसमें कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता विद्यमान है, जब तक कि उक्त न्यायालय की अभिमति में वास्तव में न्याय की सफलता हुई है ।

18. प्रकाश (पुर्वोक्त) तथा अमीरजान (पुर्वोक्त) के मामलों में दिए गए निर्णयों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन हेतु स्वीकृति का अभाव प्रारम्भिक स्तर पर उठाया जा सकता है, किन्तु यदि संज्ञान भूलवश ले लिया गया है तो इस पर किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि अपीलीय स्तर पर भी उठाया जा सकता है। परन्तु आरोप विरचित होने के बाद के चरण में यदि किसी उचित

अनुमति का प्रश्न उठता है, तो न्यायालय के पास यही एकमात्र विकल्प शेष रहता है कि वह मामले के अंतिम निर्णय के चरण में ही उसका निर्णय करे।

19. जहाँ तक विवेक का प्रयोग करने एवं सम्पूर्ण सामग्री को स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी के सामने रखने का प्रश्न है, विचारण न्यायालय ने मंजूरी देने वाले प्राधिकारी पार्थ एस. भट्टाचार्य (अभि.सा.-1) का परीक्षण किया है, जिन्होंने अपने कथनों के अनुच्छेद 4, 10, 11, 12, 14, 15 एवं 16 में विशेष रूप से यह कहा है कि उन्होंने दस्तावेज़ों, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की संक्षिप्त प्रतिवेदन, प्रकरण का विवरण तथा अपने सतर्कता विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों का परीक्षण किया तथा उक्त दस्तावेज़ों के आधार पर, व्यक्तिगत संतुष्टि के बाद, उन्होने उचित विवेक का प्रयोग करते हुए स्वीकृति दी है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक दस्तावेज़ को ही स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, किन्तु सामान्यत: वे दस्तावेज़ जो अभियोजन द्वारा संकलित किए गए हैं, उन्हें स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस मामले में स्वीकृति प्राधिकारी ने न केवल अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज़ों का परीक्षण किया है, बल्कि सतर्कता विभाग द्वारा की गई जाँच एवं तैयार की गई मामले को विवरण का भी परीक्षण किया है। बचाव पक्ष ने इस गवाह (अभि.सा.-1) का विभिन्न दस्तावेज़ों एवं सतर्कता विभाग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में विस्तृत प्रति परीक्षा की है तथा विशेष रूप से उन दस्तावेज़ों से सम्बंधित अपनी बात विशेष रूप से स्वीकार की है । पार्थ एस. भट्टाचार्य (अभि.सा.-1) के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के पर्याप्त है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी ने न केवल सीबीआई (अभियोजन पक्ष) द्वारा एकत्र किए गए और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मंजूरी दी है, बल्कि उन्होंने आवश्यक जांच करने के बाद सतर्कता विभाग द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की भी जांच की है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह गवाह, जो मंजूरी देने के लिए सक्षम है, ने निराधार या तुच्छ मंजूरी आदेश जारी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अधीन दण्डनीय अपराध की गठित करने के लिए आवश्यक नहीं है कि लोक सेवक केवल अपने कर्तव्य के संबंध में ही अवैध पारितोषिक की माँग या स्वीकृति करे, बल्कि यदि वह अन्य व्यक्तियों से भ्रष्ट अथवा

अवैध साधनों द्वारा पारितोषिक की माँग करता है अथवा प्राप्त करता है, तो इसे भी कदाचार कहा जाएगा।

21. स्वीकृति के अभाव संबंधी प्रश्न पर विचारण की कार्यवाही के प्रारम्भिक चरण में आपत्ति की जा सकती है, किन्तु किसी भी मामले में स्वीकृति की आवश्यकता का प्रश्न किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि संज्ञान लेने के उपरांत भी, उठाया जा सकता है यदि न्यायालय ने भूलवश संज्ञान ले लिया हो। किन्तु किसी स्वीकृति आदेश के आधार पर संज्ञान लेने के बाद, यदि आपत्ति उठाई जाती है तो वह केवल इस आधार पर हो सकती है कि स्वीकृति आदेश वैध नहीं है क्योंकि उसमें मस्तिष्क का अनुप्रयोग अथवा आत्मसंतोष का अभाव है। ऐसी स्थिति में उस आपत्ति का निर्णय न्यायालय अंतिम निर्णय के समय कर सकता है।

22. माननीय परीक्षण न्यायालय ने उस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया है जो आवेदक द्वारा स्वीकृति आदेश के आधार पर संज्ञान लेने के बाद प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में कोई अवैधता अथवा त्रुटि कारित नहीं की है। विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही इस मामले में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. परिणामस्वरूप, याचिका में कोई सार नहीं है, और खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार याचिका प्रवेश स्तर पर ही खारिज की जाती है।

24. तदनुसार, अंतरिम आवेदन क्रमांक 1/2008 निस्तारित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/-
(टी.पी. शर्मा)
न्यायाधीश
दिनांक 23-10-2008

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Ritu Sarna Gandhi